रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277591
CG-DL-E-02112026-277591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948
No. 331] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

सरकारी प्रतिभूति (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2026.— भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
7.06% सरकारी प्रतिभूति 2041	27 जुलाई, 2026	15-00-00	27 जुलाई, 2041	मूल्य	विविध	23,000
7.43% सरकारी प्रतिभूति 2076	19 जनवरी, 2026	50-00-00	19 जनवरी, 2076	मूल्य	विविध	13,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना फा. सं. 4(2)-बी(ड्ब्लल्यूएंडएम)/2018, दिनांक 26 मार्च 2025 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूति पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **06 नवंबर, 2026** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर प्रणाली) संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **06 नवंबर, 2026** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जब निर्गमित कारोबार

4. ये प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार '**जब निर्गमित**' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

निर्गम की तारीख और प्रतिभूति के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने वैबसाइट (www.rbi.org.in) पर **06 नवंबर, 2026** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **09 नवंबर, 2026** अर्थात् **पुनर्निर्गम की तारीख** को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर मूलनिर्गम/पिछले कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और प्रतिभूति का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/पिछले कूपन भुगतान** की तारीख से प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	पिछले कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
7.06% सरकारी प्रतिभूति 2041	7.06	नई प्रतिभूति	08 नवंबर, 2026	27 जनवरी और 27 जुलाई
7.43% सरकारी प्रतिभूति 2076	7.43	19 जुलाई, 2026	08 नवंबर, 2026	19 जनवरी और 19 जुलाई

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

अनुबंध

भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना

I. **क्षेत्र:** सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा होल्डिंग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, खुदरा निवेशकों को दिनांकित भारत सरकार (जीओआई) प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की चुनिंदा नीलामियों में "गैर-प्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति है।

II. **परिभाषाएं:** इस योजना के प्रयोजन के लिए, परिभाषा का अर्थ निम्नानुसार है:

क. खुदरा निवेशक कोई भी व्यक्ति है, जिसमें व्यक्ति, फर्म, कंपनियां, कॉर्पोरेट निकाय, संस्थान, भविष्य निधि, ट्रस्ट और आरबीआई द्वारा निर्धारित कोई अन्य संस्था शामिल है।

ख. 'एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर' का अर्थ अनुसूचित बैंक या प्राथमिक डीलर या निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज या आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था है, जिसे निवेशकों से प्राप्त बोलियों को एकत्रित करने और प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में एकल बोली जमा करने की अनुमति है।

ग. 'निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज' का अर्थ सेबी से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे प्राथमिक नीलामी खंड में एग्रीगेटर/सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सेबी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त हुआ है।

घ. 'पात्र भविष्य निधि' वे गैर-सरकारी भविष्य निधि हैं जो भविष्य निधि अधिनियम 1925 द्वारा शासित हैं जिसका निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

III. **पात्रता:**

क. नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भागीदारी एक खुदरा निवेशक के लिए खुली होगी जो:

1. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चालू खाता (सीए) या सहायक जनरल लेजर (एसजीएल) खाता नहीं रखता है; तथा
2. योजना के तहत अनुमत एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बोली जमा करता है; या
3. आरबीआई के साथ 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट' (आरडीजी अकाउंट) रखता है ।

अपवाद:

क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत उनके सांविधिक दायित्वों को देखते हुए दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में ही शामिल किया जाएगा।
2. चूंकि ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास एसजीएल खाता और चालू खाता रखते हैं, इसलिए वे अपनी गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सीधे जमा करने के पात्र होंगे।

ख. राज्य सरकारें, पात्र भविष्य निधि और अन्य:

1. राज्य सरकारें, भारत में पात्र भविष्य निधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी और बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति या संस्थान, सरकार के अनुमोदन से, इस योजना के तहत केवल ट्रेजरी बिलों की नीलामी में कवर किया जाएगा।
2. ये बोलियां अधिसूचित राशि से बाहर होंगी।
3. इन संस्थाओं के लिए बोली की अधिकतम राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

IV. **मात्रा:** खुदरा निवेशकों से गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों का आवंटन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचित राशि के भीतर निर्गम की कुल नाममात्र राशि के अधिकतम पांच प्रतिशत या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रतिशत तक सीमित होगा।

V. **बोली की राशि:**

क. बोली लगाने के लिए न्यूनतम राशि ₹10,000 (अंकित मूल्य) होगी और उसके बाद अब तक की तरह ₹10,000 के गुणकों में होगी ।

ख. खुदरा निवेशक भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में, प्रति नीलामी प्रति प्रतिभूति दो करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) तक की राशि के लिए एकल बोली लगा सकते हैं।

VI. **अन्य परिचालन दिशानिर्देश:**

क. योजना के तहत नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खुदरा निवेशक को किसी भी डिपॉजिटरी के साथ एक डिपॉजिटरी खाता या एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर के घटक सहायक जनरल लेज़र (सीएसजीएल) खाते या 'रिटेल डायरेक्ट' के तहत 'गिल्ट खाता' (आरडीजी खाता) आरबीआई के साथ एक गिल्ट खाता रखना होगा।

ख. योजना के तहत, एक निवेशक नीलामी में केवल एक ही बोली लगा सकता है। इस आशय का एक वचनपत्र कि निवेशक केवल एक ही बोली लगा रहा है, उसे एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर द्वारा प्राप्त करना होगा और रिकॉर्ड में रखना होगा।

बोलियां लगाना:

ग. प्रत्येक एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर अपने घटकों से प्राप्त दृढ़ आदेशों के आधार पर अपने सभी घटकों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एकल समेकित गैर-प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली की सामान्य विफलता जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, भौतिक रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

बोलियों का आवंटन:

घ. एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर को गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत आवंटन प्रतिफल/मूल्य की भारित औसत दर पर होगा जो प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर नीलामी में सामने आएगा। प्रतिभूतियां एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर को जारी करने की तारीख को भुगतान के बदले जारी की जाएंगी, भले ही उन्होंने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त किया हो।

ङ. यदि बोली की कुल राशि आरक्षित राशि (अधिसूचित राशि का 5%) से अधिक है, तो आनुपातिक आवंटन किया जाएगा। आंशिक आवंटन के मामले में, यह एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्राहकों को पारदर्शी तरीके से प्रतिभूतियों का उचित आवंटन करें।

च. यदि बोली की कुल राशि आरक्षित राशि से कम है, तो कमी को प्रतिस्पर्धी हिस्से में ले जाया जाएगा।

सुरक्षा का मुद्दा:

छ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूति केवल एसजीएल रूप में जारी की जाएगी। एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर को गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा के समय उनके मुख्य एसजीएल या सीएसजीएल खाते में जमा की जाने वाली राशि (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा।

ज. बाद में निवेशक के कहने पर मुख्य एसजीएल खाते से भौतिक रूप में डिलीवरी की अनुमति है।

झ. यह एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियां दें। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण जारी होने की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

ग्राहकों से लिया जाने वाला कमीशन/ब्रोकरेज

ञ. एग्रीगेटर/सुविधाकर्ता अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करने के लिए ब्रोकरेज/कमीशन/सेवा शुल्क के रूप में प्रति ₹ 100 पर छह पैसे तक की वसूली कर सकते हैं। ऐसी लागतों को बिक्री मूल्य में शामिल किया जा सकता है या ग्राहकों से अलग से वसूल किया जा सकता है।

ट. यदि प्रतिभूतियां जारी होने की तिथि के बाद प्रतिभूतियों को स्थानांतरित किया जाता है, तो ग्राहक द्वारा एग्रीगेटर/फैसिलिटेटर को देय प्रतिफल राशि में जारी होने की तारीख से अर्जित ब्याज शामिल होगा।

ठ. ग्राहकों से प्रतिभूतियों की लागत, उपार्जित ब्याज,जहां कहीं लागू हो,और दलाली/कमीशन/सेवाप्रभारों के लिए ग्राहक से अनुबंध के अनुसार एग्रीगेटर/सुविधाकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने के तौर-तरीके तय किए जा सकते हैं।

ड. यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोई अन्य लागत, जैसे कि फंडिंग लागत, को मूल्य में नहीं बनाया जाना चाहिए या ग्राहक से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

VII. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं:

एग्रीगेटर्स/फैसिलिटेटरों को योजना के तहत संचालन से संबंधित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) को प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कहा जा सकता है।

VIII. उपरोक्त दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और तदनुसार, यदि और जब आवश्यक समझा जाता है, तो योजना में संशोधन किया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

Auction for Sale (Re-issue) of Government Security (GS)

F. No. 4(1)-B(W&M)/2026.— Government of India (GoI) hereby notifies sale (re-issue) of the following Government Securities.

Name of the Security	Date of Original Issue	Original Tenure (yy-mm-dd)	Date of Maturity	Base	Method	Notified Amount (in ₹ Crore)
7.06% GS 2041	Jul 27, 2026	15-00-00	Jul 27, 2041	Price	Multiple	23,000
7.43% GS 2076	Jan 19, 2026	50-00-00	Jan 19, 2076	Price	Multiple	13,000

GoI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 Crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The Securities will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400 001 as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)–B(W&M)/2018, dated March 26, 2025 issued by Government of India.

Allotment to Non-competitive Bidders

2. The Government Security up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (**Annex**).

Place and date of auction

3. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **November 06, 2026**. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber system) on **November 06, 2026**. The non-competitive bids should be submitted between **10:30 a.m. and 11:00 a.m.** and the competitive bids should be submitted between **10:30 a.m. and 11:30 a.m.**

When Issued Trading

4. The Securities will be eligible for **"When Issued"** trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Date of issue and payment for the security

5. The result of the auction shall be placed by the Reserve Bank of India on its website (www.rbi.org.in) on **November 06, 2026**. The payment by successful bidders will be on **November 09, 2026 i.e. the date of re-issue**. The payment for the securities will include accrued interest on the nominal value of the Securities allotted in the auction from the date of original issue / last coupon payment date to the date upto which accrued interest is due as mentioned in the table in para 6.

Payment of Interest and Re-payment of security

6. Interest will accrue on the nominal value of the Securities from the date of **original issue / last coupon payment** and will be paid half yearly. The Securities will be repaid at par on date of maturity.

Name of the Security	Coupon rate (%)	Date of Last Coupon payment	Date up to which accrued interest is due	Date of Coupon payments (month / date)
7.06% GS 2041	7.06	New Security	Nov 08, 2026	Jan 27 and Jul 27
7.43% GS 2076	7.43	Jul 19, 2026	Nov 08, 2026	Jan 19 and Jul 19

By Order of the President of India

VYASAN R., Jt. Secy.

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auction of

Government of India Dated Securities and Treasury Bills

I. **Scope:** With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, retail investors are allowed participation on *"non-competitive"* basis in *select* auctions of dated Government of India (GoI) securities and Treasury Bills.

II. **Definitions:** For the purpose of this scheme, the terms shall bear the meaning assigned to them as under:

a. Retail investor is any person, including individuals, firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI.

b. 'Aggregator/Facilitator' means a Scheduled Bank or Primary Dealer or Specified Stock Exchange or any other entity approved by RBI, permitted to aggregate the bids received from the investors and submit a single bid in the non-competitive segment of the primary auction.

c. 'Specified stock exchange' means SEBI recognized Stock Exchange, which have received No Objection Certificate (NOC) from SEBI to act as aggregator/facilitator in the primary auction segment.

d. 'Eligible Provident Funds' are those non-government provident funds governed by the Provident Funds Act, 1925 whose investment pattern is decided by the Government of India.

III. Eligibility:

a. Participation on a non-competitive basis in the auctions will be open to a retail investor who:

1. Does not maintain current account (CA) or subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India; and

2. Submits the bid *indirectly* through an Aggregator/Facilitator permitted under the scheme; or

3. Maintains the 'Retail Direct Gilt Account' (RDG Account) with RBI

Exceptions:

a. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks:

i. Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this Scheme only in the auctions of dated securities in view of their statutory obligations.

ii. Since these banks maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India, they shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

b. State Governments, eligible provident funds and Others:

i. State Governments, eligible provident funds in India, the Nepal Rashtra Bank, Royal Monetary Authority of Bhutan and any Person or Institution, specified by the Bank, with the approval of Government, shall be covered under this scheme *only* in the auctions of Treasury Bills.

ii. These bids will be outside the notified amount.

iii. There will not be any restriction on the maximum amount of bid for these entities.

IV. **Quantum:** Allocation of non-competitive bids from retail investors will be restricted to a maximum of five percent of the aggregate nominal amount of the issue within the notified amount as specified by the Government of India, or any other percentage determined by Reserve Bank of India.

V. **Amount of Bid:**

a. The minimum amount for bidding will be ₹10,000 (face value) and therefore in multiples in ₹10,000 as hitherto.

b. In the auctions of GoI dated securities, the retail investors can make a single bid for an amount not more than Rupees Two crore (face value) per security per auction.

VI. Other Operational Guidelines:

a. The retail investor desirous of participating in the auction under the Scheme would be required to maintain a depository account with any of the depositories or a gilt account under the constituent subsidiary general ledger (CSGL) account of Aggregator/Facilitator or 'Retail Direct Gilt Account' (RDG Account) with RBI.

b. Under the Scheme, an investor can make only a single bid in an auction. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to obtained and kept on record by the Aggregator/Facilitator.

Submission of Bids:

c. Each Aggregator/Facilitator on the basis of firm orders received from their constituents with submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system. Except in extraordinary circumstances such as general failure of the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system, non-competitive bid in physical form will not be accepted.

Allotment of Bids:

d. Allotment under the non-competitive segment to the Aggregator/Facilitator will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the Aggregator/Facilitator against payment on the date of issue irrespective of whether they have received payment from their clients.

e. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the Aggregator/Facilitator to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

f. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

Issue of Security:

g. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. The Aggregator/Facilitator has to clearly indicate at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their main SGL or CSGL account.

h. Delivery in physical form from the Main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

i. It will be the responsibility of the Aggregator/Facilitator to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the client should b completed within *five* working days from the date of issue.

Commission/Brokerage charged to Clients:

j. The Aggregator/Facilitator can recover up to six paise per ₹ 100 as brokerage /commission/ service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients.

k. In case, the securities are transferred subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the Aggregator/Facilitator will include accrued interest from the date of issue.

l. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest, wherever applicable, and brokerage/commission/service charges may be worked out by the Aggregator/Facilitator as per agreement with the client.

m. It may be noted that no other costs, such as funding costs, should be built into the price or recovered from the client.

VII. Reporting Requirements:

Aggregators/Facilitators will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VIII. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA